98

(50)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या–4671 दिनांक 19.12.2014 द्वारा बिहार अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत रू0 44.45 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत् बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को रू0 14.83 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। इस राशि में से बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को फिक्सड कैपिटल की सुदृढीकरण हेतु 1000 (एक हजार) नग मल्टी काउन्ट फाईवर चरखा 8 तकुए का (त्रिपुरारि मॉडल चरखा) उपलब्ध कराने हेतु ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, सेखोदेवरा, नवादा को सहायक अनुदान के रूप में रू0 1,59,99,000/– (एक करोड़ उन्सठ लाख निन्यानवे हजार) रूपये उपलब्ध करायी गई थी।

2. ग्राम निर्माण मण्डल, सर्वोदय आश्रम, सेखोदेवरा, नवादा द्वारा यह चरखा खादी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कुछ भागलपुर के संस्थाओं द्वारा तसर के कताई के लिए एक तकुए का कटिया चरखा (सिल्क स्पिनिंग चरखा) की माँग की गई है, क्योंकि तसर की कताई सिर्फ कटिया चरखा द्वारा किया जाता है। भागलपुर में तसर खादी कार्य काफी मात्रा में किया जाता है, इसलिए तसर कताई के लिए 600 (छः सौ) नग कटिया चरखा देने का निर्णय लिया गया है।

600 (छः सौ) नग, कटिया चरखा खादी संस्थाओं को उपलब्ध कराने हेतु खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत् बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराई गई राशि में से व्यय की जायेगी।

3. कटिया चरखा के लिए 90 प्रतिशत अनुदान की राशि दी जायेगी, शेष खादी संस्थाओं को स्वयं वहन् करना होगा।

कटिया चरखा का गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी-

(i) कटिया चरखा लोहे एवं आयरन का बना हो।
(ii) यह पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) हो।
(iii) चरखा का कार्य क्षमता 8 घन्टे में कम–से–कम 200 से 250 ग्राम रेशमी सूत का कताई हो।
(iv) कटिया चरखा से कम से कम रू0 175–200 प्रतिदिन मजदूरी के रूप में कतिनों को प्राप्त हो सकेगी।
(v) चरखा का वजन कम–से–कम 24 किलोग्राम का होगा।
(vi) चरखा में लगने वाले पार्ट्स का नाम इसके साथ संलग्न है।

4. खादी संस्थाओं द्वारा अपने स्तर से कटिया चरखा के गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट होकर ही चरखा का क्रय किया जायेगा।

5. खादी संस्था/समिति द्वारा कटिया चरखा आपूर्ति करने वाले संस्था का नाम-पता, चरखा का गुणवत्ता (Specification) तथा दर बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके बाद कटिया चरखा का 50% राशि खादी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. कटिया चरखा के संचालन के बाद इसकी गुणवता की जाँच खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा जाँच के बाद ही शेष 50% राशि का भुगतान किया जायेगा।

(१९)

7. खादी संस्थाओं को राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. कटिया चरखा के क्रय, स्थापना एवं संचालन से संबंधी सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह०/- 13/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक –566 5/सं० विविध (त्रिपुरारी मौजा)-13/2016 पटना, दिनांक – 17/02/2017
प्रतिलिपि :– ग्राम निर्माण मण्डल, सर्वोदय आश्रम, सेखोदेवरा, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 13/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक – 566 पटना, दिनांक – 17/02/2017
प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, गाँधी मैदान,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 13/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक – 566 पटना, दिनांक – 17/02/2017
प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 13/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक – 566 पटना, दिनांक – 17/02/2017
प्रतिलिपि :– राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना–14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 13/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।